जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 14.09.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्ता गिरफ्तार।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बनएसएस में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किय गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3306 द्वारा सड़क मार्ग पर ट्रक और बाईक में टक्कर हो जाने पर घायल 01 व्यक्ति को इलाज हेतु भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3306 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत लोहरौली से इवेन्ट संख्या 45609 से कालर द्वारा सड़क मार्ग दुर्घटना में ट्रक से बाईक में ठोकर लग जाने के कारण 01 व्यक्ति (1- रामनाथ पुत्र प्रेम ग्राम खटियावां, थाना दुधारा, संतकबीरनगर) के घायल होने सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु एम्बुलेंष 108 की सहायता से सीएचसी सेमरियावां भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्ति द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- आ0 धर्मेन्द्र कुमार, हो0चा0 परमेश्वर।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 98 वाहनों से 1,17,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 98 वाहनों से 1,17,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 14.09.2024

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 एक जोड़ी पायल, 02 जोड़ी बिछुआ तथा 925 रु0 नकद के साथ शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 514/2024 धारा 305/ 317(2) बीएनएस, मु0अ0स0 545/2024 धारा 313(4)/ 305, 317(2) बीएनएस व मु0अ0स0 549/2024 धारा 317(2)/317(4)/ 317(5) बीएनएस थाना धनघटा से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता करम पाल पुत्र राजमन निवासी नरगड़ा थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 14.09.2024 को मुखबीर की सूचना पर बहराडाड़ी बंधे से 925 रु0 नकद के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशानदेही पर बड़हाडाड़ी पीच रोड बंधा के पास से 01 जोड़ी पायल व 02 जोड़ी बिधुआ बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया।

पूर्व में दिनांक 11.09.2024 को उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में 03 अभियुक्तों पप्पू पुत्र लालजी निवासी गोनवतिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर, सोनू पुत्र रामसजन निवासी ग्राम एकौना खुर्द थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, लक्ष्मी नरायण उर्फ बत्तन पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम नरगड़ा जंगा सिंह थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

करम पाल पुत्र राजमन निवासी नरगड़ा थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।

बरामदगी का विवरण –

01 जोड़ी पायल, 02 जोड़ी बिछुआ व 925 रु0 नकद।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि बरामद 925 रुपया, पप्पू पुत्र लालजी निवासी गोनवतिया, सोनू पुत्र रामसजन निवासी एकौनी खुर्द, लक्ष्मी नरायन उर्फ बत्तन पुत्र नन्दलाल निवासी नरगड़ा के साथ दिनांक 25.08.2024 को पंचायत भवन बारीडीहा से इन्वर्टर एंव बैट्री चोरी किये थे, जिसमें इनवर्टर को 1500 रुपये मे बेच दिया था अन्य रुपये खर्च हो गए है। तिघरा ग्राम से दिनांक 20.08.2024 को चोरी मे मिले एक जोड़ी पायल व चार अदद बिछुआ चाँदी का एंव पीतल के वर्तन, LED टीवी, कपड़ा आदि मिले थे, चोरी मे मिले चाँदी का पायल, बिछुआ को बड़हाडाड़ी पीच रोड बंधा पर जमीन मे गाड़ दिये है। अभियुक्त करम पाल की निशानदेही पर उसके बताये स्थान से जमीन को खोदकर 01 अदद चाँदी का पायल व 02 जोड़ी बिछुआ बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण– उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार नायक, हे0का0 आनन्द दुबे, का0 अनिल यादव।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 14.09.2024

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधि0 के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा मु0अ0स0 553/2024 धारा 69 बी.एन.एस व बढोत्तकी धारा 3/5 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधि0 थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सद्दाम हुसैन पुत्र जमीदार निवासी रामजंगला थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को आज दिनांक 14.09.2024 को रामजंगला झिरझिरवा पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 13.09.2024 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथनाम व पहचान छिपाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री राम वशिष्ठ, हे0का0 आनन्द दुबे।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 14.09.2024

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अदद अवैध कट्टा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सन्तकबीरनगर ***श्री सुशील सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 14.09.2024 को ग्राम बड़गो से अभियुक्त दयाराम यादव पुत्र शिवचरन निवासी बड़गो थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को अवैध 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 556/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी - एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री रविन्द्र यादव, का0 सौरभ उपाध्याय, का0 आनन्द प्रकाश।